

कार्यवाही विवरण

अनुपलाना
में क्रमांक
व दिनांक

08.2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप०। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त। बहस प्रा० प० मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरुस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत छउ, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार राशन कार्ड, तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 31.08.2021, जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 खाता संख्या 122 ग्राम छउ, शपथ पत्र रामनिवास का अवलोकन करने पर पाते हैं कि प्रार्थी का सही नाम रामनिवास है तथा निवास एवं रामनिवास दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ० धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम छउ पटवार हल्का छउ तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 41, 42, 43, 264के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम निवास पुत्र बलदेवा के बजाय रामनिवास पुत्र बलदेवा दुरुस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

24/8/21
(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (बुध्नुं)

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/8/21
(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (बुध्नुं)